रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2000.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 9 अक्तूबर, 2000/17 आश्विन, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 सितम्बर, 2000

संख्या टी0 सी0 पी0-एफ0 (5) 4/2000.—हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम की धारा 66 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या टी0 सी0 पी0-एफ0 (5) 4/2000 तारीख 16-8-2000 द्वारा बड़ोग विशेष क्षेत्र का गठन कर दिया गया है;

और उक्त विशेष क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग नक्शे को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 के अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त विशेष क्षेत्र म भूमि उपयोग में परिवर्तन करने या उसमें किसी भवन के निर्माण करने से सतह यह किसी भूमि या मिट्टी को क्षति पहुंचाने की सम्भावना है या यह मिट्टी के परीक्षण, भूमि के खिसकने को रोकथाम या कटाव के सरक्षण के लिए हानिकारक है और उक्त अधिनियम उपबन्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और उसका विकास करना कठिन हो गया है ।

अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 15-ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बड़ोग विशेष क्षेत्र क विद्यमान भूमि उपयोग को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए बन्द करते हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

2125-राजपत्र/2000-9-10-2000—1,397. (3329) मूल्य : 1 रुपया।

[*Authoritative English Text of Government Notification No. TCP-F (5) 4/2000 C dated* 11-9-2000 *as required under Clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 11*th September*, 2000

No. TCP-F (5) 4/2000.—Whereas Barog Special Area has been constituted under sub-section (1) of section 66 of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) *vide* notification No. TCP-F (5) 4/2000 dated 11-8-2000 ;

And whereas existing landuse map of the said Special Area has not yet been published under Section 15 of the Act *ibid*;

And whereas the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Special Area, the change of landuse or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips or protection against erosion and is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provision of the aforesaid Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh, Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the Existing landuse of Barog Special Area for a period of one year from the date of publication of the notification in the official Gazette.

By order,

Sd/-

Commissioner-cum-*Secretary*.

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 11 सितम्बर, 2000

संख्या टी0सी0पी0-एफ0(5)4/2000.—हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम की धारा 66 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या टी0सी0पी0-एफ0(5)-4/2000, तारीख 16-8-2000 द्वारा जाबली विशेष क्षेत्र का गठन कर दिया गया है ;

और उक्त विशेष क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग नक्शे को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है ;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त विशेष क्षेत्र में भूमि उपयोग में परिवर्तन करने या उसमें किसी भवन के निर्माण करने से सतह यह किसी भूमि या मिट्टी को क्षति पहुंचाने की सम्भावना है या यह मिट्टी के परीक्षण, भूमि, के खिसकने की रोकथाम या कटाव के संरक्षण के लिए हानिकारक है और उक्त अधिनियम उपबन्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और उसका विकास करना कठिन हो गया है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का 12) की धारा 15-ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जाबली विशेष क्षेत्र के विद्यमान भूमि उपयोग को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए बन्द करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative English Text of Government notification No. TCP-F(5)4/2000 dated* 11-9-2000 *as required under Clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 11*th September*, 2000

No. TCP-F(5)4/2000.—Whereas Jabli Special Area has been constituted under sub-section (1) of section 66 of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) *vide* notification No. TCP-F(5)4/2000, dated 11-8-2000;

And whereas existing landuse map of the said Special Area has not yet been published under Section 15 of the Act *ibid*;

And whereas the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Special Area, the change of landuse or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered derimental to the preservation of the soil, prevention of land slips or protection against erosion and is likely to make it defficult to plan and develop the said area in accordance with the provision of the aforesaid Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to Freeze the Existing landuse of Jabli Special Area for a period of one year from the date of publication of the notification in the official Gazette.

By order,

Sd/-
Commissioner-cum-Secretary.

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 सितम्बर, 2000

संख्या टी0सी0पी0-एफ0(5) 4/2000.—हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम की धारा 66 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या टी0सी0पी0-एफ0 (5)-4/2000 तारीख 16-8-2000 द्वारा कण्डाघाट विशेष क्षेत्र का गठन कर दिया गया है ;

और उक्त विशेष क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग नक्शे को पूर्वोक्त विशेष अधिनियम की धारा 15 के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है ।

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त विशेष क्षेत्र में भूमि उपयोग में परिवर्तन करने या उसमें किसी भवन के निर्माण करने से सतह यह किसी भूमि या मिट्टी को क्षति पहुंचाने की सम्भावना है या यह मिट्टी के परीक्षण, भूमि के खिसकने की रोकथाम या कटाव के संरक्षण के लिए हानिकारक है और उक्त अधिनियम उपबन्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और उसका विकास करना कठिन हो गया है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 15-ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कण्डाघाट विशेष क्षेत्र के विद्यमान भूमि उपयोग को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए बन्द करते हैं ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English text of Government Notification No. TCP-F* (5) 4/2000, *dated* 11-9-2000 *as required under Clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th September, 2000

No. TCP-F (5)4/2000.—Whereas Kandaghat Special Area has been constituted under sub-section (1) of Section-66 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), *vide* notification No. TCP-F(5) 4/2000 dated 11-8-2000 ;

And whereas existing landuse map of the said Special Area has not yet been published under Section 15 of the *ibid.*

And whereas the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Special Area, the change of landuse or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips or protection against erosion and is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provision of the aforesaid Act.

Now, there fore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh, Town & Country Planning Act, 1977 (Act. No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to freeze the existing landuse of Kandaghat Special Area for a period of one year from the date of publication of the notification in the official Gazette.

By order,

Sd/-
Commissioner-cum-Secretary.

हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।